प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 22 सितम्बर, 2020**

विषयः **वर्ष 2020-21 हेतु आलू बीज विक्रय दर का निर्धारण एवं निकासी समिति के गठन के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-आलू 21 जी/विक्रय दर/ 2020-21, दिनांक 07.09.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र के साथ उपलब्ध कराये गये आलू बीज विक्रय दर निर्धारण चार्ट/विवरण के अनुसार, जो दरें आंकलित की गयी है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आलू बीज की विक्रय दरें निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार आलू बीज की विक्रय दरें निम्नलिखित निर्धारित की जाती हैः-

क्र. सं.	**आलू बीज की श्रेणी**	**वर्ष 2020-21 हेतु आलू बीज की उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित विक्रय दर (रुपये प्रति कुन्टल)**	**अभ्युक्ति**
1	आधारित प्रथम	3150.00	सफेद एव लाल आलू बीज प्रजातियों की विक्रय दरें एक समान है।
2	आधारित द्वितीय	2675.00	
3	ओवर साइज (आधा0प्रथम)	2455.00	
4	ओवर साइज (आधा0द्वितीय)	2395.00	
5	सीड साइज ड्डथफुल	2280.00	
	योग-	-	

2- विक्रय दर में आंकलन से संतुष्टि की जिम्मेदारी निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की होगी।

3- आलू बीज वितरण तथा विक्रय के संबंध में शासनादेश सं0-2437/58- 2009-100(2)/2006, दिनांक 01.10.2009 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। आलू बीज की गुणवत्ता आदि के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार कराकर कृषकों को आलू बीज उठाने हेतु प्रोत्साहित किया जाय, जिससे नीलामी की स्थिति उत्पन्न न हो एवं शासकीय क्षति से बचा जा सकें। इस हेतु प्रभावी कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित करें। आलू बीज की उक्त विक्रय दरें वर्ष 2021-2022 के लिए आधार नहीं मानी जायेगी।

4- निदेशक, उद्यान द्वारा नियमित अनुश्रवण करते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आलू बीज विक्रय/वितरण की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमानुसार ही की जाय।

5- राजकीय शीतगृह अलीगंज, लखनऊ एवं मोदीपुरम, मेरठ से आलू बीज निकासी एवं जनपदों तक ढुलान व्यवस्था के अनुश्रवण, नियंत्रण एवं आलू बीज के सड़न, संकुचन/सूखन के निर्धारण एवं नियंत्रण हेतु उप निदेशक उद्यान की अध्यक्षता में निम्नानुसार निगरानी समिति का गठन किया जाता हैः-

(अ) राजकीय शीतगृह अलीगंज, लखनऊ हेतु-

1- उप निदेशक उद्यान, लखनऊ। अध्यक्ष
2- जिला उद्यान अधिकारी, लखनऊ सदस्य
3- आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, अलीगंज, लखनऊ। सदस्य/सचिव

(ब) राजकीय शीतगृह मोदीपुरम, मेरठ हेतु-

1- उप निदेशक उद्यान, मेरठ। अध्यक्ष
2- जिला उद्यान अधिकारी, मेरठ। सदस्य
3- आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, मोदीपुरम, मेरठ। सदस्य/सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

6- उक्त समितियां आलू बीज की छटाई, बिनाई एवं सुखाई के उपरान्त आलू बीज वितरण एवं निकासी के कार्यो हेतु उत्तरदायी होगी। कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को अपने स्तर से आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-46/2020-1492 (1)/58-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. निदेशक, उ0प्र0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, बीज प्रमाणीकरण भवन, राजकीय उद्यान, परिसर, आलमबाग, लखनऊ।
5. सूचना निदेशक, उ0प्र0 को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
6. समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उ0प्र0।
7. समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in